रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 27, 1982/ज्यैष्ठ 6, 1904
No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 1982/JYAISTHA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 27 मई, 1982

का० आ० 365(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 6एक के खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ब) ऐसे माल, ऐसी सेवाओं या सुविधाओं से, जिनमें निर्धारिती अपने कारबार के दौरान व्यवहार करता है या जिनकी व्यवस्था करता है, सम्बन्धित अपने कारबार के हितों या व्यापारिक क्रियाकलापों के संरक्षण के प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर मुकदमें बाजी।"

[सं 4644/फा०सं० 31/एफ बी/81-टी पी एस]

एस० एन० शिन्डे, निदेशक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 27th May, 1982

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6AA of the Income-tax Rules, 1962, after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :—

"(e) litigation outside India for the purposes of the protection of the business interests of the assessee or of trading activities relating to the goods, services or facilities which the assessee deals in or provides in the course of his business.".

[No. 4644/F.No. 31/FB/81-TPL]

S. N. SHENDE, Director
Central Board of Direct Taxes

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982